lwpuk ,oa tulEidZ funs’kky;

izsl foKfIr

jkjph]fnukad16-03-2020

सूचना एवं जनसंपर्क, रांची
विज्ञप्ति संख्या *-165/2020*
16 मार्च *2020*
झारखण्ड मंत्रालय, रांची
========================
मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने जारी किया निर्देश
========================
▪कोरोना वायरस (*COVID-19)* से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के मद्देनजर *14* अप्रैल *2020* तक राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
========================
▪इस अवधि में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं एवं परीक्षा के मूल्यांकन कार्य यथावत् जारी रहेंगे।
========================
राज्य के मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी ने कोरोना वायरस (*COVID-19)* से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के लिए दिए गए दिशा-निर्देश में कहा है कि झारखंड राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थान को तत्काल प्रभाव से दिनांक *14* अप्रैल *2020* तक राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में संबंधित विभागों के द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इस अवधि में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं एवं परीक्षा के मूल्यांकन कार्य यथावत् जारी रहेंगे। परीक्षा से पहले परीक्षा कक्षों की उचित साफ-सफाई तथा बेंच एवं कुर्सी को उचित तरीके ‘डिसइनफेक्टेड’ करने की व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं के द्वारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाय।

###

===================

#TeamPRDJharkhand